

भारत सरकार  
गृह मंत्रालय

जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान, 6-बी, झालाना डूगंरी, जयपुर ।

क्रमांक : 1628 — 2(1) / जन / स्था / 99— ।।।

दिनांक : 2-6-2017

### निविदा सूचना

विषय :: जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर में टेक्सी किराये पर लेने हेतु रेट/कोटेशन मांगने के संबंध में।

महोदय,

जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के लिए दिन प्रति-दिन सरकारी कार्यों के निर्वहन हेतु एक टेक्सी स्विफ्ट डिजायर/इनोवा या इनके समतुल्य टेक्सी (कार) किराए पर लेना है। जिसके लिए इच्छुक फर्मों से उक्त टेक्सियों का प्रतिमाह किराया सर्विस टेक्स सहित अलग-अलग रेट कार्यालय में सीलबंद लिफाफे में दिनांक 21.06.2017 अपराह्न 2.00 बजे तक ही स्वीकार किए जायेगे एवं उसी दिन 2.30 बजे उपस्थित फर्मों के समक्ष कोटेशन खोले जाएंगे। इस कार्य हेतु आप अपनी दरें सभी खर्चों सहित मासिक आधार पर संलग्न प्रपत्र में भिजवाने की व्यवस्था करें।

टेक्सी किराये पर प्रदान करने की शर्तें निम्नानुसार होगी:-

1. टेक्सी (कार) / चालक के पास राजस्थान राज्य एवं नई दिल्ली के लिए वैध परमिट होना चाहिए।
2. टेक्सी/कार किराया लेने की अवधि अभी एक वर्ष तक होगी इसमें आवश्यकतानुर अवधि घटाई-बढ़ाई जा सकती है।
3. स्विफ्ट डिजायर/इनोवा टेक्सी की रेट अलग-अलग देनी होगी।
4. प्रत्येक कार्य दिवस में सामान्यतः प्रातः 9.00 से सांय 6.30 बजे तक टेक्सी उपलब्ध करवाने के साथ-साथ आवश्यकता पड़ने पर अवकाश के दिवस में भी उपलब्ध करानी होगी। उक्त अवधि के बाद रोके जाने की स्थिति में अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।
5. टेक्सी की अलग से लोग बुक भरनी होगी जिस पर कार्यालय के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर कराने होगे।
6. किसी भी प्रकार का अग्रिम कार्यालय द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा।
7. पैट्रोल/डीजल/मरम्मत का खर्च आवेदक फर्म द्वारा वहन किया जाएगा।
8. टेक्सी (कार) का मॉडल दिसम्बर, 2015 के बाद का होना चाहिए।
9. दरें किसी भी स्थिति में आर.टी.डी.सी. की दर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
10. ड्राइवर का भी समस्त खर्च आवेदक फर्म द्वारा ही वहन किया जाएगा।
11. भुगतान माह के अन्त में वास्तविक किलोमीटर/माह का निर्धारित न्यूनतम् किराया राशि के आधार पर किया जाएगा।
12. टेक्सी प्रदान करने वाली एजेन्सी अपना TIN एवं PAN नम्बर की प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
13. जयपुर से बाहर जाने पर वाहन चालक को अलग से halting charge additional राशि देय नहीं होगी।
14. कार्यालय में लगाई गई कार यदि खराब हो जाती है या सर्विस के लिए जाती है तो उसके रथान पर दूसरी कार उस अवधि के लिए प्रदान करनी होगी।
15. कोटेशन के साथ अमानत राशि रूपये 10,000/- का अनिवार्य रूप से Demand Draft लगाना होगा। इसके अभाव में संबंधित फर्म का कोटेशन सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
16. गाड़ी नहीं उपलब्ध करवाने पर रूपये 700/- प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी देनी होगी। जो कि माह में गाड़ी का भुगतान की जाने वाली राशि में से वसूली की जाएगी।

एक दो तीन  
जून 2017

उक्त दरें बन्द लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से 'टेक्सी (कार) किराये हेतु दरें' लिखा हो निदेशालय में दिनांक 21.06.2017 (अपराह्न 2.00 बजे) तक अधोहस्ताक्षरी/सहायक निदेशक (का०प्र०) को प्राप्त होनी चाहिये। देरी से प्राप्त दरों /ई-मेल/फैक्स से प्राप्त दरों पर विचार नहीं किया जाएगा। उक्त निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप से निरस्त करने का अधिकार जनगणना कार्य निदेशालय, राज०, जयपुर के पास सुरक्षित होगा।

संलग्न : एक प्रपत्र

*Sd—*  
(आर०आर० मीना)  
संयुक्त निदेशक

प्रति :: निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. ✓ श्री एम०एस० थापा, तकनिकी निदेशक, डाटा प्रोसेसिंग डिवीजन, ई-विंग, द्वितीय तल, पुष्पा भवन, मदनगीरी रोड, नई दिल्ली – 110062 को भेजकर अनुरोध है कि ORGI की web site पर upload करने की कृपा करें।
2. श्री लोकेश जैन, डीपीए ग्रेड –ए को निदेशालय की web site पर upload करने के संबंध में।

*✓ 116/17*  
(आर०आर० मीना)  
संयुक्त निदेशक

## जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

### प्रपत्र टेक्सी (कार) किराये हेतु दरें

गाड़ी का मॉडल एवं नाम तथा नम्बर	फर्म का नाम एवं पूरा पता	टेलीफोन / मोबाईल नम्बर	प्रति किलोमीटर की दर	प्रतिमाह का किराया एवं सर्विस टेक्स
1. स्वीफ्ट डिजायर या इसके समकक्ष टेक्सी / कार				
2. इनोवा या इसके समकक्ष टेक्सी / कार				

उपरोक्त दरों के अलावा किसी भी प्रकार के अन्य व्यय का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।

फर्म के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर